श्रीमान जी,

इज्राय पेश है।

1. कोर्ट फीस चस्पा है।
2. क्षेत्राधिकार में है।
3. समयावधि पूर्ण है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

3005b

[signature]
10/5/18

10/5/18

डिक्रीदार मय वकील उप०। इज्राय दर्ज रजिस्टर की जावे। तहसीलदार कोटकासिम को पालना हेतु अहकाम जारी हो। आयन्दा पत्रावली दिनांक 11/5/18 को पेश हो। [signature]

इ. न. 1602 पर दर्ज है।

Mani [signature]
11 [illegible] कायोदर्ज
11-05-18

11/5 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरी [illegible]
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/लोक[illegible]
में दिनांक 16/5/18 को पेश हो।
[signature]

एस डी ओ/ रीडर

16/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली में आदेशों की पालना की जा चुकी है। इसलिए पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दि. 12.2.18
रा.मु.वाद 80/16. जसवन्त पुत्र (1) मेहरचन्द आदि.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
80 / 16	20.04.2016	12/2/2018

अनुवान

1. जसवन्त पुत्र श्री शादी जाति अहीर निवासी ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

बनाम

1. मेहरचन्द
2. जयलाल पुत्रान श्री शादी जाति अहीरान निवासीयान ग्राम कुतुबपुर तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
3. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा भौंकर जरिये शाखा प्रबंधक भौंकर
4. श्रीमान उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम तह0 कोटकासिम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय. दुरूस्ती इन्द्राज मय
तकासमा आराजी बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा
88,89,53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

उपस्थितः–

1.श्री खुशीराम अभिभाषक वादी

वादी ने मय वकील उपस्थित होकर इस न्यायालय में उपस्थित होकर दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय तकासमा आराजी बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955 आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 86/0–18, 91/0–18, 91/0–18, 436/0–11, 980/1–100, 1155/3–05, 1282/536/0–04, 588/0–08, 1281/590/1–05 बीघा वाके ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है। जो किइस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 तक संलग्न वादपत्र है। आराजीयात जो भी मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 व चन्दन पुत्र श्री शादी के पिताजी श्री शादी के नाम थी उसका बाहमी बटॅवारा सन् 1976 में ही हमारे पिताजी शादी ने अपने जीवनकाल में ही हम चारो भाईयो के बीच कर दिया था। उसी बाहमी बटॅवारा के अनुसार ही हम

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

ारों भाई मौके पर काबिज व दखिल होकर काश्त करने लग गये थे। मिन वादी के बडे भाई चन्दन ा भी रिकोर्डेड बटॅवारा बाहमी बटॅवारा के अनुसार कर दिया है। जिसका अमल राजस्व जमाबंदी मे ो रहा है। जबकि आज भी मिन वादी बाहमी बटॅवारा के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बरान ६/0–18, 91/0–18, 436/1–18, 980/1–00, 1155/586/3–05, 1282/586/0–04 बीघा सम्पूर्ण पर व 588/–08 बीघा में से अपने 02 बिस्वा पर 1281/590/1–05 बीघा में से अपने 0–11 बिस्वा पर प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के साथ सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 आये रोज मिन वादी के सामलाती हिस्से के कब्जा काश्त से मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है व विवादित आराजीयात को बिना बटॉये ही निर्माण कार्य करना व विवादित आराजीयात रिकोर्ड में सामलाती होने का बेजा फायदा उठाते हुये दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। दिनांक 18/04/2016 को मिन वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से इस बाहमी बटॅवारा को राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद करने हेतु कहा तो वो साफ इंकार हो गये और मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकियॉ दी कि विवादित आराजीयात आजस्व रिकोर्डस में सामलाती है जिसका हम बेजा फायदा उठाते हुये दीगर लोगो को बेचान करेगे और तेरे हक हिस्से में आई हुई आराजीया तमे निर्माण कार्य करेगे और तुझे जब्रन बेदखल कर अपना कब्जा करेगे तुझे काश्त नही करने देगे । इसलिये मिन वादी बाहमी बटॅवारा के अनुसार आई हुई विवादित आराजीयात 86/0–18, 91/0–18, 436/0–18, 980/1–00, 1155/3–05, 1282/586/0–04 बीघा सम्पूर्ण का व 588/0–8 बीघा मे से अपने 02 बिस्वा का व 1281/590/1–05 बीघा मे से अपने 0–11 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी और इस हद तक प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कराने का और इसी कदनर मिन वादी अपने नाम का अमल राजस्व रिकॉर्ड में दरामद करवाने का व तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कुरेजात कायम कर अलग खाता करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही इस लिए इनके खिलाफ 23.08.2016 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि उपरोक्त अनुवानी वाद में आराजीयात ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम में स्थित होकर पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। विवादित आराजी आर0जी0बी0 शाखा भौंकर रहन होने के कारण बैंक को सुना जाना आवश्यक है। वाद में तनकीयात कायम की गई ।

1. आय वादी विवादित आराजीयात में बाहमी बटवारे अनुसार सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कर रहे है।

– जिम्मे वादी

2. आया वादी विवादित आराजी ख0न0 86, 91,436, 980, 1155, 1282/586 सम्पूर्ण व 588/0–08 में से 02 बिस्वा 1281 /586/1–05 में से 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम कलमजन कराने व बाईमीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कराने का अधिकारी है ।

– जिम्मे वादी

3. विवादित आराजीयात में पक्षकारान का आपसी विवाद है। विवादित आराजी आर0जी0बी0 शाखा भौंकर मे रहन है। इस लिए बैंक को सुना जाना अपेक्षित है।

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मिलान किया गया
पढ़ा सुना

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES
INDIA
COURT FEE
Rs.2

Scanned by CamScanner

वादी ने साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 जसवन्त, पी0डब्लू0 2 तुलसीराम, पी0डब्लू0 3 हेमकरण के शपथ पत्र पेश किये वाद को राजस्व अभियान कैम्प 2017 में दिनांक 23.062017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार कोटकासिम को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर इस न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया । तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये।

विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अधिवकता वादी की बहस सुनी। वादी अधिवकता ने मुताबिक कुरेकायमी वाद फाईनल डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की ।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त कुरेकायमी पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक कुरेकायमी पर अपनी सहमति प्रकट की है।

अतः मुताबिक कुरेकायमी वादी का वाद इस प्रकार फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 86/0–18, 91/0–18, 436/0–18, 980/1–00, 1155/3–05, 1284/586/2/0–04, 588/2/0–02 , 1281/590/2/0–11 किता 8 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में जसवन्त पुत्र शादी कोम अहीर सा0 देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 शाखा भौंकर रहेगी। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 72/1–00, 1289/284/2–04, 1286/325/1–08, 357/0–17, 368/0–17, 404/1–05, 1284/586/1/0–04, 588/1/0–06, 1281/590/1/0–14, 1279/590/0–04, 1282/586/0–04, 734/4–13, 1288/932/1–12, किता 13/15 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर में मेहरचन्द, जयलाल, पुत्रान शादी कोम अहीर साकिन देह खातेदार राहिन आर0जी0बी0 भौंकर रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0
कोटकासिम (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) सत्यमेव जयते

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

मिलान किया गया
पढ़ा सुना

Scanned by CamScanner